NATIONAL FEDERATION OF INSURANCE FIELD WORKERS OF INDIA

REGISTERED UNDER TRADE UNION ACT, 1926 (Reg. No.ALC/KARYASAN-17/11295)

New India Building Annex, S.V. Road, Santacruz (W), Mumbai - 400054.

M. Vinay Babu
President
Mob : 9849014356
Email : madhavaramvinaybabu@gmail.com

Vivek Singh
Secretary General
Mob : 9415202088
Email : viveksingh200@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत विकास अधिकारियों के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इन्श्योरेन्स फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया, उत्तर मध्य क्षेत्र इकाई की द्विवार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को रेलवे ऑडिटोरियम गोरखपुर में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर दिनांक 15 दिसंबर 2023 को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

प्रेस वार्ता में **राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम विनय बाबू (हैदराबाद), राष्ट्रीय महासचिव श्री विवेक सिंह (वाराणसी)**, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राजीव कृष्ण त्रिपाठी क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर मध्य क्षेत्र श्री सुदीप जोशी (हल्द्वानी) एवं क्षेत्रीय सचिव उत्तर मध्य क्षेत्र श्री संजय शाही (गोरखपुर) उपस्थित हुए।

क्षेत्रीय सचिव श्री संजय शाही जी ने पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार एवं प्रिंट मिडिया के सभी साथियो का स्वागत किया। सभी पदाधिकारियों का परिचय कराते हुए बताया की यह आम सभा गोरखपुर में एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। इसके पहले यह क्षेत्रीय आम सभा गोरखपुर में 2010 में आयोजित की गई थी। इस क्षेत्रीय आमसभा में पूरे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से 600 से ज्यादा विकास अधिकारी से उपस्थित हो रहे है। इस दो दिवसीय आम सभा में सभी विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत बनाने एवं अपनी समस्याओं पर तथा IRDAI की LIC को कमजोर करने की नीतियों पर विचार विमर्श करेंगे एवं आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे।

अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम विनय बाबू (हैदराबाद) एवं **महासचिव श्री विवेक सिंह ने पत्रकार साथियो को सम्बोधित करते हुए बताया कि,**

भारतीय जीवन बीमा निगम बहुत ही मजबूती के साथ बीमा धारकों की सेवा कर रहा है। 2022-23 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुल 225.51 लाख दावों का भुगतान किया। जिसके अंतर्गत ₹ 2,09,938 करोड़ धनराशि का भुगतान किया गया। भुगतान किए गए मृत्यु दावे का प्रतिशत 98.60 % है। हमारे पास 13,47,325 अभिकर्ता है जो विश्व के सभी जीवन बीमा कम्पनियों में सर्वाधिक हैं।

Communication Address : S, 25/221-8C-3KA, Behind Balaji Public School, Sarsauli, Varanasi, U.P. Pin : 221 001.
Visit Our Website : 'www.nfifwi.com'

अभी हाल में ही हमारा नकदी भण्डार 503.7 अरब डालर हो गया है और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रैंकिंग में भारतीय जीवन बीमा कम्पनी (एलआईसी) दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कम्पनी बनी है। प्रतिस्पर्धा के वातावरण में 21 वर्षों के बाद भी भारत की जीवन बीमा इंडस्ट्री में हमारा आज भी मार्केट शेयर 60% से ऊपर है जो किसी भी सरकारी कंपनी के लिए गर्व करने की बात है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत एक नई क्रांतिकारी बीमा योजना जीवन उत्सव

जो जीवन के हर मोड़ पर आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक संपूर्ण जीवन बीमा योजना है चाहे बच्चे हों, वयस्क हों या वरिष्ठ नागरिक हों यह सभी के लिए उपलब्ध है जिसमें सीमित किश्त भुगतान पर आजीवन बीमा संरक्षण तथा भुगतान किए गए प्रीमियम पर प्रत्येक वर्ष के लिए गारंटीकृत अधिलाभ के साथ ही पूर्व-निर्धारित समय अंतराल से पूरे जीवनकाल के लिए गारंटीकृत 10% के नियमित वार्षिक जीवित हितलाभ (नकदी प्रवाह) का प्रावधान है। इस योजना में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ऐसे वार्षिक लाभ को संचयी रूप में पुनर्निवेश पर 5.5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वृद्धि आरंभ हो जाएगी जिसका 75% कभी भी आहरित किया जा सकता है शेष 25% तथा अगले वर्ष की गारंटीड 10% निधि पर पुनः 5.5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वृद्धि होती रहेगी। अत्यावश्यकता पर ऋण भी उपलब्ध है । इस प्रकार यह योजना जीवन के हर मोड़ पर आपकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

सरकारी जीवन बीमा कंपनी होने के नाते हमारे ऊपर सरकार के बहुत से नियम और विनियम लागू है। परंतु हमारे अलावा अन्य 22 जीवन बीमा कंपनियों के ऊपर जैसे नियम और विनियम जो हमारे ऊपर लागू है उसमें से बहुत से नियम उनके ऊपर लागू नहीं हैं।

आईआरडीए की नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने में और निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। हाल ही में IRDAI कुछ ऐसे प्रस्ताव लेकर आया है जो बीमा अभिकर्ताओं की आमदनी, पुरस्कार, सुविधाओं और यहां तक कि उनके अस्तित्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे जिसका दुष्प्रभाव भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत विकास अधिकारियों पर पड़ना अवश्यंभावी है।

दुर्भाग्य से, IRDAI की गतिविधियों के आरंभ होने के बाद से ही, IRDAI के अविवेकी फैसलों के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम कई आक्रामक समस्याओं का सामना कर रहा है। आईआरडीएआई के विभिन्न निर्णयों से भारतीय जीवन बीमा निगम की सुचारू और सफल रूप से चली आ रही एजेंट भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। आईआरडीएआई के कई ऐसे फैसले थे, जिन्होंने एलआईसी और उनकी फील्ड फोर्स को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जबकि निजी कंपनियों ने इसका आनंद लिया। हालांकि, एलआईसी सभी प्रतिकूलताओं के साथ टिके रहने में सक्षम थी और आज भी 60 % से अधिक बाजार हिस्सेदारी केवल एलआईसी के पास है।

बीमा सुगम का आरंभ- बीमा एक्सचेंज

बीमा विक्रय में धोखाधड़ी और अनुचित बिक्री की रोकथाम के बहाने से आईआरडीएआई अचानक एक नई अवधारणा बीमा एक्सचेंज- बीमा सुगम लेकर आया है। यह एक्सचेंज पॉलिसी धारकों, एजेंटों, रिपॉजिटरी, एनएसडीएल आदि को बीमा खरीदने, बीमा पॉलिसियों से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने, क्लेम्स सेटलमेंट, एजेंटों की पोर्टेबिलिटी आदि को सक्षम करने के लिए लिंक प्रदान करता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले पर वास्तविक हितधारकों के साथ कभी कोई चर्चा नहीं की गई।

IRDAI ने मनमाने ढंग से इस बीमा एक्सचेंज के हिस्से को जीवन बीमा परिषद (30%), साधारण बीमा परिषद (30%), ऑनलाइन PSBS (35%) और ब्रोकर्स एसोसिएशन (5%) को वितरित किया। बीमा योजनाओं की आनलाइन खरीद के इस नये प्लेटफॉर्म के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम के 13 लाख अभिकर्ताओं सहित देश में बीमा व्यवसाय से जुड़े 25 लाख से अधिक जीवन बीमा अभिकर्ताओं और 15 लाख से अधिक साधारण बीमा अभिकर्ताओं की आजीविका और रोजगार के लिए एक घातक संकट खड़ा हो जाएगा और उनका और उनके परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा परिणामस्वरूप बीमा व्यवसाय का यह कार्य जो पहले ही बहुत आकर्षक नहीं है और भी अनाकर्षक हो जाएगा जिसके कारण नये अभिकर्ताओं की नियुक्ति तो प्रभावित होगी ही साथ ही IRDAI की एक करोड़ अभिकर्ता नियुक्त कर 130 करोड़ भारतीयों तक बीमा सुरक्षा पहुंचाने का मन्तव्य भी अपूर्ण रह जाएगा।

इस आनलाइन माध्यम में अभिकर्ताओं के अभाव में क्रय की गई पालिसियों के पालिसीधारकों के समक्ष अभिकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विक्रयोपरांत विभिन्न सेवाओं के अभाव का भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट लगता है कि यह प्रक्रिया एक घोर अनियमितता है और इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए इस पर पुनर्विचार जरूर किया जाना चाहिए।

भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी संवर्ग की वेदना

निगम के अन्य कार्मिकों की तुलना में हमारे विकास अधिकारी संवर्ग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, अपने अभिकर्ताओं जरिए निगम का नवव्यवसाय लाने वाले विकास अधिकारी के लिए निगम में अतिरिक्त रूप से विशेष विनियम स्पेशल रूल्स 1989 (संशोधित 2009 तथा 2016) भी लागू हैं जो लागत अनुपात मूल्यांकन सिद्धांत पर आधारित है जिसमें उसे प्राप्त हो रही सकल परिलब्धियों के पंचगुणित अनुपात में नये प्रीमियम अर्जित करने की बाध्यता है जहां साथ ही उन्हें सभी योजनाओं पर अर्जित प्रीमियम की शत-प्रतिशत क्रेडिट भी नहीं मिलती है, और ऐसा न हो सकने की स्थिति में विकास अधिकारी को दण्ड स्वरूप वेतन-वृद्धि स्थगन, वेतन ह्रास तथा सेवा विमुक्ति भी संभव है चाहे विकास अधिकारी की सेवा अवधि दशकों पुरानी हो, जबकि विकास अधिकारी सामाजिक आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक अशांति हिंसा आदि परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए अपने कार्य का सम्पादन करते हैं और इन सभी का तार्किक प्रभाव उनके व्यवसाय पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ता है।

लागत मूल्य गणना की परिभाषा भी न्यायोचित नहीं है, देश में अन्य सभी को प्राप्त होने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिवसों के भी वेतन को ऐसी गणना में जोड़ा जाता है, हमारे द्वारा कार्य संपादन में व्यय आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति भी जुड़ती है आदि आदि। संक्षेप में विकास अधिकारी संवर्ग में स्वयं सेवा की ही सुरक्षा नहीं है,

आपके माध्यम से हम इस विसंगति को माननीय वित्त मंत्री महोदया तक पहुंचाना चाहते हैं और मांग करते हैं कि हमारे ऊपर लागू इस स्पेशल रूल्स को पुनः संशोधित किया जाए और

1) दण्ड स्वरूप सेवा समाप्ति का प्रावधान हटाया जाए और सेवा समाप्ति की जगह स्वत: क्लास 3 संवर्ग में विकास अधिकारी संवर्ग में प्राप्त हो रहे अंतिम वेतन के प्रोटेक्शन के साथ समायोजित किया जाए।
2) वेतन ह्रास का दण्ड समाप्त किया जाए।
3) देशज परिस्थितियों की विभिन्नताओं को समेकित करते हुए एक पूर्णतः तार्किक, वैज्ञानिक, न्यायोचित, एकसमान स्थायी स्वरूप का लक्ष्य व्यवसाय/ प्रथम प्रीमियम मापदण्ड निर्धारित किया जाए।
4) सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत क्रेडिट दी जाए।

LIC के कर्मचारियों का पेंशन मुद्दा

LIC के कर्मचारी 1995 तक किसी भी पेंशन योजना के अधीन नहीं थे। बहुत लंबे समय तक की गई मांग के बाद, काफी अनुनय विनय और अनगिनत चर्चाओं और वार्ताओं के बाद LIC ने अपने कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की और 1995 में संरचित पेंशन नियम अस्तित्व में आया।

एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए हमें नियोक्ता के योगदान समेकित भविष्य निधि के प्रावधान का त्याग करना पड़ा। हालांकि, हमने नियोक्ता के योगदान के बिना भी अपनी भविष्य निधि योजना जारी रखी।

01.04.2010 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारीयों को पुरानी पेंशन का प्रावधान न होने के कारण उन्हें NPS के तहत लाया गया है। जिसका अर्थ है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन पूरी तरह से अनिश्चित है। इसके अलावा, एक ही संगठन में पेंशन की दो अलग -अलग प्रणालियां न्यायोचित तो नहीं ही हैं।

इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदया से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि उपरोक्त उल्लेखित उचित, तार्किक और मानवीय अपेक्षाओं पर अपनी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए अपने संसदीय निर्णयों के माध्यम से इस वित्तीय परेशानी से बाहर आने में हमारी मदद करें और हमारी निम्न मांगो पर सहनुभूति पूर्वक विचारण की कृपा करें,

1. वेतन पुनर्निर्धारण के साथ हर बार पेंशन पुनर्निर्धारण भी किया जाए।

2. LIC में सभी कर्मचारियों जो 01.04.2010 के बाद या उसके बाद शामिल हुए के लिए NPS से OPS में रूपांतरण।

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 20 साल की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन।

बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में छूट

जीवन बीमा पर जीएसटी के कारण अलग-अलग तरह की लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसियां पर प्रीमियम बढ़ गया। प्रीमियम बढ़ने से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मध्यम श्रेणी वर्ग का है उसके लिए बीमा खरीदना कठिन हो गया है। बीमा एक सामाजिक सुरक्षा है इसलिए हम आपके माध्यम से माननीया वित्त मंत्री से मांग करते है जीवन बीमा पर जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए और एक निश्चित बीमाधन तक कोई भी जीएसटी नहीं लगनी चाहिए जिससे देश का मध्यम श्रेणी वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए जीवन बीमा ले सके।

उपरोक्त सभी मुख्य मांगों के संदर्भ में देशव्यापी रूप से हमारे सभी 112 मंडलो के सदस्यों द्वारा अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लोकसभा और राज्य सभा संसद सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें हमारे सभी उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचारण हेतु माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन किया जाएगा।

धन्यवाद सहित सादर,

विवेक सिंह

(विवेक सिंह)

महासचिव

दिनांक -15 **दिसंबर** 2023 **स्थान -गोरखपुर**